

अपवादित खाता निस्तारण
शिविर संगरिया

मूल वाद में अन्तिम डिक्री बमुकद में ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:—मांगीलाल आर.ए.एस. (प्रशिक्षु)
प्रकरण संख्या:—91/2019

1 हनुमानप्रसाद		पि. सेवाराम जाति जाट साकिन मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2 छोटूराम		
3 सतपाल		
4 ओमप्रकाश		
5 राजेन्द्र प्रसाद		पि. शंकरलाल जाति जाट साकिन मालारामपुरा तहसील संगरिया
6 सुरेन्द्र कुमार		
7 रणवीर		पि. दयाराम जाति जाट साकिन मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8 धर्मपाल		
9 निहालचन्द्र		
10 सुभाषचन्द्र		

— वादीगण

बनाम

1. कुम्भा पुत्रा दूदा जाति जाट निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगी लाल आर.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री जसवीर सिंह वकील वादीगण मिन जामिन मुदई..... वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री दी जाती है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अभिलेख संगरिया के पत्र क्रमांक 193 दिनांक 29.01.2020 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट:— उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन फक होने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....मुब्लिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(मांगी लाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया